न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 26 / 2018

1 बालूराम उम्र 84 वर्ष पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी दोरादास तहसील व जिला झुंझुनू।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश उम्र 54 वर्ष पुत्र गीदाराम।
2 सुरेन्द्र उम्र 49 वर्ष पुत्र गीदाराम।
3 रणवीर उम्र 44 वर्ष पुत्र गीदाराम समस्त जाति जाट निवासीगण दोरादास तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी ओमप्रकाश
बनाम बालूराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए
आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर 56 / 2013
निर्णय दिनांक 19.02.2018

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 12.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2013 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अदालत मातहत के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत किया जो अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 19.02.2018 के द्वारा स्वीकार कर जमीन खसरा नम्बर 10,13,14 सरहद मौजा दोरादास में से 15 फुट चौड़ा रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये। अपीलांट उक्त निर्णय दिनांक 19.02.2018 के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2017 एवं 08.12.2017 का हवाला देकर पारित किया है किन्तु यह दोनों रिपोर्ट पत्रावली पर नही है। प्रकरण में नियम 69 के तहत तहसीलदार द्वारा पक्षकारों को नोटिस देकर स्वंय द्वारा मौका निरीक्षण करना चाहिए था। इस नियम की पालना नही की गई है। रिपोर्ट में कही भी यह अंकन नही है कि वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रकरण में चाहा गया रास्ता 30 फिट ऊंचे टीले पर से दे दिया गया है। वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2019 पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में नियम 69 की पालना में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई राणासर से दोरादास के रास्ते से सम्पर्क के लिये खसरा नम्बर 10,13,14 में राणासर के कांकड़ के सहारे—सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। पत्रावली पर आने जाने के लिये इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

रास्ता होना प्रकट नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में नियम 69 की पालना में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई राणासर से दोरादास के रास्ते से सम्पर्क के लिये खसरा नम्बर 10,13,14 में राणासर के कांकड़ के सहारे–सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। पत्रावली पर आने जाने के लिये इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना प्रकट नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना में विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर